राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 05.04.2021

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2021 के द्वारा कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की घटती संख्या व आमजन को अन्य बीमारियों के उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर की 100 शैय्याओं को कोविड–19 के लिए आरक्षित रखते हुए शेष शैय्याओं को सामान्य उपचार के लिए मुक्त किया गया था।

विगत कुछ दिवसों में राज्य में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के दृष्टिगत विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.01.2021 के निरन्तरता में कोविड–19 संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर की 50 और शैय्याओं को आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर की 150 शैय्याऐं कोविड उपचार हेतु एवं शेष शैय्याऐं अन्य बीमारियों के उपचार हेतु उपलब्ध रहेंगी।

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन जयपुर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. निजी /रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव